7/2019 तारीख रजू 22.2.2019

उनवान

मंदिर ठाकुर लक्ष्मणजी बनाम रामप्रसाद वगै0

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

	हुकम या कार्यवाही मय ईनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर श्री हेमराज सैनी एडवोकेट हाजिर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्जे रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीयान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर की प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति का है। तथा प्रार्थीयान के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उददेश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थीयान का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तानान्तरण करने तथा विक्रय करने के लिऐ आमादा हो रहे है। प्रार्थीयान के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिता को देखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी **दिनांक 25.3.2019 तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 7670 रकवा 1 विस्वा गैरमुमकिन चाहा खसरा नम्बर 7671 रकवा 2 वीधा 13 विस्वा खसरा नम्बर 7677 रकवा 3 वीधा 4 विस्वा खसरा नम्बर 7679 रकवा 3 वीधा 16 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 9 वीधा 15 विस्वा अबस्थित वाके शहर करौली हल्का नम्बर 10 तहसील करौली जिला करौली को उभय पक्ष विक्रय नही करे, राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे।** प्रार्थीयान को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को साामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीयान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का एवं अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों मे यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा मे संशोधन/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.3.2019 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी करौली	379-85 26.2.19
13/3/19	पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा अपना वाद पत्र Not press कर लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र Not press मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे के साथ शामिल रहे। उपखण्ड अधिकारी	[illegible] नहीं चाहता Not press